



Neutral Citation No.- 2026:AHC-LKO:22206

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या – 2621/2026

दिग्विजय सिंह

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ एवं एक अन्य ... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – शशि धर पाठक, लाल बहादुर खान

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, मों. वकार खान

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

मों. वकार खान, अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है और उसे अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री वकार खान को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से, प्रार्थी ने अपने प्रति थाना-आलमबाग, जिला-लखनऊ में भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 227/2015, में आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 07.08.2015 के साथ-साथ विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, लखनऊ के समक्ष लंबित विशेष वाद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संख्या 595/2017 [राज्य बनाम दिग्विजय सिंह एवं अन्य] की समस्त अग्रिम कार्यवाहियों को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में गलत फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और ऐसी कोई घटना कभी घटित नहीं हुई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि तत्पश्चात पक्षकारों ने एक साथ बैठकर समझौता विलेख निष्पादित कर अपने विवादों को सुलझा लिया है और उसे दिनांक 11.12.2025 को लिखित रूप में तैयार किया गया था। अपने तर्कों को विस्तार देते हुए उन्होंने यह कहा कि अब पक्षकारों ने समझौता विलेख निष्पादित कर अपने सभी विवादों को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार वर्तमान प्रार्थी के विरुद्ध अग्रिम आपराधिक कार्यवाही एक व्यर्थ प्रक्रिया होगी और प्रार्थी के उत्पीड़न के समान होगी।

अपने तर्कों में उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 04.02.2026 के आदेश द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या 952, वर्ष 2026 में वाद को समझौता सत्यापन के लिए संदर्भित किया था और उक्त आदेश के अनुपालन में, दोनों पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं और दिनांक 11.12.2025 के समझौता विलेख को समस्त संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में सत्यापित किया गया है और सत्यापन आदेश दिनांक 12.03.2026 को विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, लखनऊ द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अब पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है, अतः थाना-आलमबाग, जिला-लखनऊ में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 227/2015, से उद्भूत आक्षेपित आरोप पत्र दिनांक 07.08.2015 के अनुसरण में प्रारंभ की गई कार्यवाही को निरस्त किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान प्रार्थीगण का वाद उच्चतम न्यायालय द्वारा रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2021 एससी 966 के वाद में घोषित निर्णय के निर्णयाधार से पूर्णतः आच्छादित है और उन्होंने पैरा संख्या 9, 10, 11 और 16 का उल्लेख किया है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के बाद, हमारा मत है कि वर्तमान अपील में हमारे विचारार्थ दो प्रश्न आते हैं। पहला, क्या गैर-शमनीय अपराध से उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम जैसी विशेष विधियों के अंतर्गत होने वाले अपराधों तक विस्तारित किया जा सकता है?"

10. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, इस न्यायालय के रामगोपाल एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के हालिया निर्णय का सीधे उल्लेख करना लाभकारी होगा, जिसमें इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक समान प्रश्न था। सकारात्मक उत्तर देते हुए, यह स्पष्ट किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत इस न्यायालय में निहित अंतर्निहित शक्तियों के आह्वान पर या धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियों पर निषेध के रूप में नहीं समझा जा सकता है। आगे यह धारित किया गया कि पूर्ण न्याय करना प्रदान करना ही अनुच्छेद 142 या धारा 482 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने की कसौटी होगी। इसलिए, यह न्यायालय या उच्च न्यायालय अपराध की प्रकृति और इस तथ्य पर सम्यक महत्त्व देते हुए कि पीड़ित/शिकायतकर्ता स्वेच्छा से समझौते में सम्मिलित हुआ है, अपनी संबंधित संवैधानिक/अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में कार्यवाही को निरस्त कर सकता है।"

11. रामगोपाल (उपरोक्त) में न्यायालय ने आगे यह प्रतिपादित किया कि गैर-जघन्य अपराधों या मुख्य रूप से निजी प्रकृति के अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाहियों को कार्यवाही के किसी भी चरण में, जिसमें अपीलीय स्तर भी शामिल है, निरस्त किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय ने इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हुए कि बेईमान अपराधी बल प्रयोग, धमकी, रिश्वत या अन्य ऐसे अनैतिक और अवैध माध्यमों से समझौता करके अपने आपराधिक दायित्वों से बचने का प्रयास कर सकते हैं, यह चेतावनी दी कि जिन वादों में दोषसिद्धि के बाद समझौता किया जाता है, वहां न्यायालयों को, अन्य बातों के साथ-साथ, समझौते की रीति के साथ-साथ घटना से पहले और बाद में अभियुक्त के आचरण की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। निष्कर्ष निकालते समय, न्यायालय ने कुछ दिशानिर्देश भी तैयार किए और यह धारित किया: "

"19. फिर भी, हम दोहराते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के संदर्भ में ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: (i) समाज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की चेतना पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव; (ii) चोट की गंभीरता, यदि कोई हो; (iii) अभियुक्त और पीड़ित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति; और (iv) कथित अपराध की घटना से पूर्व और बाद में अभियुक्त व्यक्तियों का आचरण और/ या अन्य प्रासंगिक विचार।"

16. दूसरी ओर, जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध, यद्यपि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत आता है, मुख्य रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, या जहाँ कथित अपराध पीड़ित की जाति के कारण नहीं किया गया है, या जहाँ विधिक कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, वहाँ न्यायालय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार, समझौते के आधार पर निरस्तीकरण की प्रार्थना पर विचार करते समय, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य का उल्लंघन या उसकी पूर्ति में कमी नहीं होगी, भले ही प्रश्नगत अपराध हेतु दंडित न किया जाए, तो मात्र यह तथ्य कि अपराध एक 'विशेष विधि' के अंतर्गत आता है, इस न्यायालय या उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 या धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने से प्रवारित नहीं करेगा।"

दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थीगण के पक्ष का समर्थन किया है और यह प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने समझौता विलेख निष्पादित कर लिया है और अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है, अतः प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के उक्त तर्कों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच दिनांक 11.12.2025 को समझौता किया गया है और उक्त समझौते को दिनांक 12.03.2026 को सत्यापित किया गया है और, अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनानुसार, वे उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या 227, वर्ष 2015 से उत्पन्न वाद, अर्थात् राज्य बनाम दिग्विजय सिंह एवं अन्य में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि प्रार्थीगण और विरोधी पक्षकारों ने दिनांक 11.12.2025 को समझौता कर लिया है और कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः उक्त आपराधिक वाद में अग्रिम दार्द्रिक कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003) 4 एससीसी 675, निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [2008] 9 एससीसी 677] मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य (2008) 16 एससीसी 1 ज्ञान सिंह बनाम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 और नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में घोषित निर्णयों के आलोक में रद्द किए जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप, थाना-आलमबाग, जिला-लखनऊ में भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 323, 504 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 227/2015 की कार्यवाहियों को एतद्द्वारा **निरस्त** किया जाता है।

समझौता विलेख इस आदेश का भाग होगा।

तदनुसार परिणाम प्रभावी होंगे।

तदनुसार प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अधिकारी इस आदेश को संबंधित न्यायालय को तत्काल संसूचित करेंगे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 मार्च 2026

अनुज कृष्ण श्रीवास्तव